संख्या–1736/XVI/08/7(38)/07

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान,
गोपेश्वर (चमोली)।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–2 देहरादूनः दिनांक 22 जनवरी,2009

विषयः–वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान हेतु कुल प्राविधानित धनराशि रू0–25.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान के पत्र संख्या–1220/ज0बू0स0/टी0एस0पी0/2008,दिनांक–28 नवम्बर,2008 के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–31 के आयोजनागत पक्ष की योजना–19–जड़ी–बूटी शोध संस्थान को अनुदान के कियान्वयन हेतु प्राविधानित सम्पूर्ण धनराशि रू0–25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) व्यय हेतु निम्नांकित शर्तानुसार आपके निर्वतन/आवंटन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1–इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा। व्यय करने से पूर्व योजना के प्रारूप व कियान्वयन व्यवस्था के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से समुचित स्वीकृति/निर्णय प्राप्त कर लिया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि पौध वितरण के मानक भी नियमानुसार निर्धारित कर दिये गये हों।

2–उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–267/XXVII(1)/2008,दिनांक–27 मार्च, 2008 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3–किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रकिया(स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5,भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4–अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

5–निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक के आगणन/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

6–व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7–व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नही रहेगा।

.....2/–

8–व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

9–लघु निर्माण कार्य व अन्य निर्माण कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित दरों पर ही आगणन गठित करके कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10–यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि जनजाति क्षेत्र उपयोजना (टी0एस0पी0) हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों/ग्रामों में अथवा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों हेतु ही किया जाय।

11–स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर (चमोली) को नियमानुसार अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

12–प्रश्नगत योजना हेतु इस स्वीकृति सहित पूर्व में दी गई/गत वित्तीय वर्ष में दी गयी धनराशि से लाभान्वित लाभार्थियों में से कितने लाभार्थी गरीबी की रेखा से उपर उठे हैं, का विवरण शासन/समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

13–इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत 796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–00–19–जड़ी–बूटी शोध संस्थान को अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मद के नामे डाला जायेगा।

14–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–159(P)/XXVII-4/2008,दिनांक–14 जनवरी,2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या–1736/**XVI/08/7(38)/07**,तददिनांक।

प्रतिलिपि:–**निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग,उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0पी0 पाटनी)
अनु सचिव।

Budget 2008-09